



2026:AHC: 49684-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

जनहित याचिका संख्या - 599/2026

प्रफुल्ल उर्फ गिरधारी एवं 2 अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिपक्षीगण

याची के अधिवक्ता : विनय कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका, कथित रूप से जनहित में, याचियों द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 5 - ग्राम प्रधान के विरुद्ध एक निर्धारित अवधि के भीतर उचित कार्रवाई करने हेतु प्रतिपक्षियों को निर्देश देने की मांग के साथ दायर की गई है।
2. यह दलीलें दी गई हैं कि दिनांक 02.01.2025 को शिकायत करने के बावजूद, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है और इसलिए, इस संबंध में निर्देश जारी किया जाए।
3. हमने रिट याचिका के अनुलग्नक-3 के रूप में दायर शिकायत का अवलोकन किया है।
4. शिकायत के अवलोकन से संकेत मिलता है कि विभिन्न कार्यों का उल्लेख करते हुए पूर्णतः सरसरी और सर्वग्राही आरोप लगाए गए हैं और यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या 5 - ग्राम प्रधान की ओर से धांधली की गई है।
5. वर्तमान प्रकृति की शिकायत, जो पूर्णतः सरसरी है, की जांच के लिए इस न्यायालय से निर्देश मांगना स्वीकार्य नहीं है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. याचिका में कोई सार नहीं है। अतः, इसे **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

11 मार्च, 2026

एन.डी./वी.एस.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।